



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक: परीक्षा/डी०आर०/१४१५
दिनांक : 08.09.2025
०९

अधिसूचना

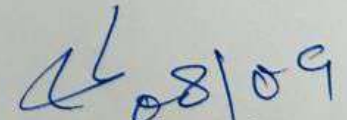
कृपया राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई-5914 दिनांक 26.08.2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० कुलाधिपति द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं कि ऐसे छात्र/छात्रा जो कक्षाओं में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करने में असफल रहते हैं को नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित न कराया जाये। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में सी०सी०टी०वी० एवं बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कृपया उपस्थिति के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति के निर्देशों को व्यापक रूप से छात्र/छात्राओं को अवगत कराते हुये संलग्न पत्र में वर्णित निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/प्राचार्य, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
5. गार्डफाइल।


उप कुलसचिव (परीक्षा)

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
(चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश ।

विषय: विश्वविद्यालय/संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

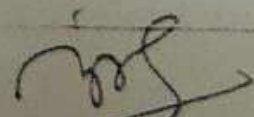
2- माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं।

कृपया छात्रगणों को इस आशय की नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय/संस्थान व सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी ।